निर्णय द्व–इजलास प्रकाश राजपुरोहित, आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 35/2022 (राजस्व अपील)

श्रीमती संतोष पुत्री स्व॰ श्री हरसहाय पत्नी गुलाब चन्द जाति रेगर, निवासी रेगरों का मोहल्ला, कुन्दनपुरा, जगतपुरा,जयपुर।

अपीलार्थी

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार जयपुर, जिला जयपुर ।
2. सत्यधीर पुत्र श्री भूरमल जाति चमार निवासी वार्ड नम्बर 19, रविदास नगर, चरखी दादरी, जिला भिवानी, हरियाणा ।

रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा–75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 27.10.2016 तहसीलदार जयपुर जिसके द्वारा ग्राम जयसिंहपुरा खोर नामान्तरकरण संख्या 1497 दिनांक 27.10.2016

उपस्थित :–

1. श्री विशाल जोशी अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री विजय कुमार शर्मा अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से ।

निर्णय दिनांक 18.03.2024

1. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम जयसिंहपुरा खोर तहसील जयपुर के नामान्तरकरण संख्या 1497 पर तहसीलदार जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.10.2016 से व्यथित हो कर अपीलार्थी द्वारा यह अपील पेश की गई है।
2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किये गये। तहत रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से श्री विजय कुमा शर्मा अधिवक्ता ने उपस्थित हो कर वकालतनामा पेश किया। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. ग्राम जयसिंहपुरा खोर तहसील जयपुर में स्थित साबिक खसरा नम्बर 1520 रकबा 12 बीघा 11 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 1521 रकबा 18 बीघा 9 बिस्वा में से अपीलान्ट के दादा नारायण ने पूर्व खातेदार भैरू वल्द बल्या से हिस्सा 1/12 क्रय कर लिया तथा अपीलान्ट के पिता हरसहाय ने पूर्व खातेदार नोन्दा पुत्र चन्दा से उसका हिस्सा 1/6 क्रय कर लिया जिसके अनुसार उक्त भूमि में से अपीलान्ट के पिता के हिस्सा 6/6 दर्ज हुआ जो लगभग 7 बीघा 13 बिस्वा 09 बिस्वांशी है। हरसहाय पुत्र नारायण ने जो हिस्सा नोन्दा पुत्र चन्दा और मोहरिया पुत्र दूल्ला से 2/6 हिस्सा क्रय किया था उसका कभी भी कोई हस्तान्तरण नहीं किया उस भूमि पर तन्हा रूप से काबिज है तथा कुआ बना रखा है, बिजली कनेक्शन है जो लगभग 6 बीघा भूमि के है तथा

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

नारायण ने जो हिस्सा भैरू बल्द बल्या से खसरा नम्बर 1521 में हिस्सा 1/12 क्रय किया था वह लगभग 01 बीघा 10 बिस्वा 09 बिस्वांशी है। अपीलान्ट के हक पूर्वाधिकारी के देहान्त के पश्चात अपीलान्ट उक्त भूमि पर काबिज काश्त है तथा उक्त भूमि का सभी खातेदारों द्वारा मौखिक विभाजन कर रखा है जिसके अनुसार अपीलान्ट मौके पर खसरा नम्बर 1521 पर काबिज होकर पृथक रूप से भूमि का उपयोग उपभोग करते आ रहे है । उक्त खाते के सह खातेदार लादूराम पुत्र ईशरया, श्रीमती मन्नी देवी पत्नी ईशरया, नरबदा देवी पत्नी गुल्ला, नवरतन व अनिल पुत्रान गुल्ला, चन्द्रकान्ता, उर्मिला पुत्रिया गुल्ला, रामकरण पुत्र केशरा, श्रीमती तीजा देवी पत्नी स्व॰ श्री मोहर्या, रामेश्वर लालचन्द पुत्रान स्व॰ श्री मोहर्या, मन्जू देवी पुत्री स्व॰ श्री मोहर्या, श्रीमती मोता देवी पत्नी स्व॰ श्री रामनारायण, अनिल, ओमप्रकाश पुत्रान स्व॰ श्री रामनारायण, नानगी, मनभरी, बादाम, पुत्रिया स्व॰ श्री रामनारायण समस्त जाति रेगर ने अपने हिस्से की भूमि का बिना वास्तविक कब्जा प्रदान किये रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के पक्ष में शून्य व अवैद्य विक्रय पत्र दिनांक 13.09.2011 को पंजीकृत करवा दिया। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने उक्त समस्त कार्यवाही को छिपाने के उद्देश्य से लगभग 5 वर्ष के पश्चात अवैद्य तरीके से नामान्तरकरण 1497 दिनांक 27.10.2016 को अपने पक्ष में तस्दीक करा लिया। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के द्वारा सन् 1917 में न्यायालय में विभाजन का वाद सह खातेदार के विरूद्व प्रस्तुत किया गया, परन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने अपीलान्ट के हक पूर्वाधिकारी का देहान्त हो जाने के उपरान्त बिना अपीलान्ट को प्रकरण में पक्षकार बनाये निस्तारित करवा लिया। जिसकी जानकारी अपीलान्ट को अन्य सह खातेदारों द्वारा अपील राजस्व अपील अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने पर हुई । इससे पूर्व अपीलान्ट को उक्त अवैद्य नामान्तरकरण की जानकारी नहीं रही। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 राजस्थान का मूल निवासी नहीं है। ऐसी अवस्था में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कृषि भूमि को क्रय करने हेतु धारा 42 के अनुसार अनुसूचित जाति का नहीं माना जायेगा। राजस्थान में यदि अनुसूचित जाति की भूमि क्रय करता है तो उसके पक्ष में किया गया अन्तरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 के तहत विधि विपरीत व शून्य होगा । विक्रय पत्र आरम्भ से ही शून्य व निष्प्रभावी होगा तथा उस अवैद्य विक्रय पत्र के आधार पर की गई कार्यवाही राजस्व अभिलेखों की प्रविष्टि भी शून्य होगी। ऐसी अवस्था में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के पक्ष में दर्ज किया गया नामान्तरकरण संख्या 1497 प्रारम्भ से शून्य व निष्प्रभावी है तथा राजस्थान भू राजस्व अधिनिमय के तहत प्रभाव शून्य व विधि विपरीत आदेश को कभी भी चुनौती दी जा सकती है। फिर भी विलम्ब के लिए मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त Bhadar Ram v/s Jassa Ram के अनुसार अवैद्य व विधि विपरीत विक्रय पत्र का ज्ञान होने पर तथा धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधनियम का उल्लंघन होने के उपरान्त प्रश्नाधीन नामान्तरकरण को स्वीकृत करने का क्षेत्राधिकार तहसीलदार जयपुर को नहीं था। अतः अपील स्वीकार की जा कर अपीलाधीन नामान्तरकरण को निरस्त फरमाया जावे।

5. प्रत्यर्थी संख्या 2 के अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि सर्वप्रथम अपीलार्थी द्वारा अपील विलम्ब से पेश की गई है। इस आधार पर ही अपील खारिज किये जाने योग्य है। दूसरा, रेस्पोडेन्ट संख्या 2 हरियाणा का मूल निवासी है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की जाति हरियाणा में भी अनुसूचित जाति में आती है और राजस्थान में भी अनुसूचित जाति में आती है।

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

इसलिए काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा धारा 42 के उल्लंघन होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। अतः अपील पोषणीय नहीं होने से अपील को खारिज किये जाने के आदेश करावें ।

6. उभय पक्ष को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. सर्वप्रथम हम अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का निस्तारण करना चाहेंगे। यद्यपि अपीलान्ट की ओर से अपील विलम्ब से पेश की गई है, किन्तु अपीलान्ट की ओर से अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने के लिए दिये गये तर्कों से हम सहमत है। इसलिए न्यायहित में विलम्ब अवधि को कन्डोन किया जाता है। अपील का मैरिट पर निस्तारण किया जाता है।

8. रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2, सत्यवीर ने हरियाणा सरकार की ओर से जारी अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र की फोटो प्रति पेश की है। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 राजस्थान राज्य का मूल निवासी नहीं होकर हरियाणा राज्य का मूल निवासी है जिसके द्वारा राजस्थान के राजस्व ग्राम जयसिंहपुरा खोर तहसील जयपुर में अनुसूचित जाति के सदस्य की कृषि भूमि की खरीद की गई है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 (बी) के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जाति के व्यक्ति द्वारा अन्य जाति के व्यक्ति को कृषि भूमि का विक्रय नहीं किया जा सकता है । इस सम्बन्ध में अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत किया गया माननीय उच्च न्यायालय का न्यायिक दृष्टान्त BHADAR RAM V/s JASSA RAM पूर्ण रूप से चस्पा होता है। फलस्वरूप अपील स्वीकार की जाती है ।

9. तहसीलदार जयपुर द्वारा राजस्व ग्राम जयसिंहपुरा खोर तहसील जयपुर के नामान्तरकरण संख्या 1497 पर पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.10.2016 को अपास्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार जयपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि पक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 के संबंध में जारी सर्कुलर/परिपत्रों का परीक्षण कर नये सिरे से विधि सम्मत आदेश पारित करें।

10. निर्णय की प्रति हस्ब कायदा मय मिसल मातहत तहसीलदार जयपुर को प्रेषित हो। पत्रावली बाद तकमील फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

11. निर्णय आज दिनांक 18.03.2024 को सरे इजलास सुना गया ।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर
जयपुर